प्रकरण संख्या 112 / 14 2016 / 00038 तारीख रजु–13.10.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाड़िया, आई.ए.एस.

उनवान

1. अब्दुल वहीद पुत्र अब्दुल हफीज उर्फ मंजर
2. नग्गो पुत्री अब्दुल हफीज उर्फ मंजर
3. मरियम स्त्री अब्दुल हफीज उर्फ मंजर

सभी जातियान मुसलमान, निवासीयान चटीकना मौहल्ला, करौली, तहसील व जिला करौली (राज.) – अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार करौली, तहसील व जिला करौली
2. महमूद पुत्र हमीद खां जाति मुसलमान निवासी हरदैनियां गली, चटीकना वार्ड, करौली तहसील व जिला करौली
3. इशाक अहमद पुत्र खैराती जाति मुसलमान, कोर्ट कैम्पस, करौली – रेस्पोण्डेण्ट

अपील व नाराजी विरुद्ध आदेश दिनांक 15.10.2012 क्रमांक 5039 जिसके जरिये ससेड़ी की आराजी खसरा नंबर 784 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा की गलत तरमीम करने बाबत् अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक–19.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर नक्शा ट्रेस में ग्राम ससेड़ी के खसरा नंबर 784 में बरंग सुर्ख स्थान पर तरमीम किया जाना कतई गैरकानूनी होने से निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी संख्या 2 द्वारा गलत तरमीम होने की शिकायत करने के बावजूद भी प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बगैर तरमीम किये जाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के विपरीत एवं गैरकानूनी है और निरस्त होने योग्य है, क्योंकि मौके पर कब्जे की जांच किये बगैर हल्का पटवारी से साज करके गलत तरमीम कराई है जो निरस्त होने योग्य है। उक्त आराजी पर अपीलाण्ट्स के मौके पर 1961 से लगातार कब्जा व मकानात बने होने के बावजूद गलत रूप से तरमीम में शामिल करने में कानूनी भूल की है। इसलिये की गई तरमीम निरस्त होने योग्य है। की गई तरमीम कभी वक्त आवंटन नक्शे में दर्ज स्थान पर नहीं रही ना ही कभी इस भूमि पर गैरसायल नं. 2 व 3 का कब्जा रहा है। आवंटन के कागजात को नजर अंदाज कर साजिशी की गई तरमीम निरस्त होने योग्य है। प्रार्थीया द्वारा गलत तरमीम की शिकायत करने बावजूद प्रार्थीया द्वारा शिकायती पत्र किये बगैर के निस्तारण की जानकारी दिये वगैर गलत रूप से तरमीम फरमाई है जिसकी प्रार्थी को दिनांक 17.09.2014 को हल्का पटवारी द्वारा होने पर उसी रोज तरमीम नकल दरख्वास्त रिकॉर्ड रूम से

जिला कलक्टर
करौली

तथ्य प्राप्त कर जानकारी के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई है जिसके बाबत् धारा 5 कानूनी म्याद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रकार अपील अन्दर म्याद शुमार फरमा कर मूल अपील की सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाये जावें। अंत में अपील अपीलाण्ट को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया है कि खसरा नं. 784 पूर्व में वन विभाग में आवंटित किया जा चुका है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा मिलकर आवंटन के योम 2 बीघा 10 विस्वा पर रेस्पोण्डेण्ट्स नं. 2 व 3 को कोई कब्जा भी नहीं दिया गया तो उसकी तरमीम सड़क किनारे किया जाना गैरकानूनी है। उनकी अदम मौजूदगी में की गई तरमीम शून्य है जबकि प्रार्थीया पुश्तैनी तौर पर सन् 1961 से विवादित भूमि पर काबिज है। प्रमाण में 1961 की लिखा–पढ़ी साथ में प्रस्तुत है। मौके पर अपीलाण्ट के मकानात बने हुए हैं। उनको गलत तरमीम के आड़ में हड़पना चाहते हैं। वन विभाग की मौजूदगी में कोई तरमीम नहीं की है। वक्त तरमीम आवंटन के कागजातों की अनदेखी कर की गई तरमीम अपने आप में गलत सिद्ध होती है। जब अपीलाण्ट लगातार 1961 से काबिज है तो बगैर सुनवाई का अवसर अपीलाण्ट को दिये दिनांक 15.10.2012 क्रमांक 5039 के आदेश की पालना में की गई तरमीम प्राकृतिक न्याय के विपरीत है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि तरमीम नियमानुसार एवं मौके की जांच कर की गयी है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोडेण्ट नं. 2 व 3 का बहस में कथन है कि अपीलाण्ट पीड़ित पक्षकार नहीं हैं और अपीलाण्ट को तरमीम आदेश दिनांक 15.10.2015 क्रमांक 5039 की अपील करने का विधिक अधिकार नहीं है। खसरा नंबर 784 वन विभाग को आवंटित नहीं किया गया है। रकबा 2 बीघा 10 विस्वा पर कब्जा आवंटी का यौम आवंटन दिनांक से लगातार बतौर हक खातेदार है और आवंटी के हक में कब्जा अनुसार विधिवत जांच कर की गयी है जो वैध है। अपीलाण्ट का कोई कब्जा सन् 1961 से खसरा नं. 784 पर नहीं है। अपीलाण्ट्स द्वारा जब भूमि वन विभाग को अवाप्ति होना अभिकथन किया है तब अपीलाण्ट का कब्जा भूमि पर सन् 1961 से होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लिखावट फर्जी व निराधार है। कोई कब्जा बाबत् खसरा परिवर्तनशील या धारा 91 एल.आर. एक्ट का कोई नोटिस व निर्णय अपीलाण्ट्स द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे स्पष्ट साबित है कि अपीलाण्ट्स का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। तरमीमशुदा भूमि रेस्पोडेण्ट के

जिला कलक्टर
करौली

खातेदारी व कब्जे काश्त की है। मौके पर अपीलाण्ट का कोई मकान व रिहायश नहीं है जिसे अपीलाण्ट ताकत के बल पर अपील की आड़ में हड़पना चाहते हैं व वन विभाग से अपीलाण्ट का कोई संबंध नहीं है। अपीलाण्ट के कोई हक हकूक नहीं होने से प्रभावित नहीं होते हैं। वन विभाग कार्यवाही करने को स्वतंत्र है। वक्त तरमीम आवंटन के अनुसार व कब्जा अनुसार तरमीम मौके की जांच कर की गयी है जो विधिवत है। अपीलाण्ट को तरमीम को निरस्त कराने का विधिक अधिकार नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत फोटो विवादित स्थल से संबंधित नहीं हैं। अपील अपीलाण्ट सारहीन है और भूमि को हड़पने एवं रेस्पोडेण्ट्स को परेशान करने की बदनीयती से पेश की है जो हर सूरत खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि पटवारी हल्का ससेड़ी व भू–अभिलेख निरीक्षक, करौली तथा तहसीलदार करौली किसी ने भी आवंटन के समय प्रस्तावित नक्शे का अवलोकन नहीं किया और न ही उसके अनुसार तरमीम की गई। अतः अपील अपीलाण्ट को रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अस्तु अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार करौली द्वारा आराजी खसरा नंबर 784 में 2 बीघा 10 विस्वा ग्राम ससेडी की क्रमांक 5039 दिनांक 15.10.2012 को की गई तरमीम निरस्त की जाती है। प्रकरण तहसीलदार करौली को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अप्रार्थी व वन विभाग को भूमि आवंटित करते समय प्रस्तावित किये गये नक्शे के अनुसार एवं बाद जांच गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करके पुनः तरमीम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली